न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 359/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/349

अपीलाण्ट :–

1. गणेशकुंवर पत्नी स्व. देवीसिंह जाति राजपुत निवासी केराल तहसील शिवगंज जिला सिरोही
2. गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी केराल तहसील शिवगंज जिला सिरोही
3. रणजीतसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जाति राजपूत निवासी केराल तहसील शिवगंज जिला सिरोही
4. दिलीपसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जाति राजपुत निवासी केराल तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. श्रीमती भवंरकुंवर पुत्री स्व. रसालकुवर पत्नी गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी केराल हाल निवासी रडमलिया थामला तहसील मावली जिला उदयपुर
2. श्रीमती रतनकुंवर पुत्री स्व. रसालकुंवर पत्नी संग्रामसिंह जाति राजपूत निवासी केराल हाल खारण्डीया तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द
3. श्रीमती कृष्णाकुंवर धर्मपत्नी नरेन्द्रसिंह देवडा, जाति राजपुत निवासी लखमावा बडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के प्रकरण संख्या 17/2023 एवं अपील संख्या 12/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29–01–2024

उपस्थिति :–

1. श्री चन्दन सिंह डाबी, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 18 अप्रैल, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से एक प्रर्थाना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.05.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रकरण दिनांक 29 जनवरी 2024 को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.18 23:01:59 IST
Reason: Self Attested

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–01–2024 से क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स बावजुद सम्मन/नोटिस तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

संभागीय आयुक्त,
पाली

3. बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील विरूद्ध रेस्पोडेण्ट्स अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम की प्रस्तुत की थी। साथ ही अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलाण्ट के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम केराल पटवार हल्का तहसील शिवंगज जिला सिरोही के खसरा संख्या 155/2 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 157 रकबा 0.08 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बिस्वा है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 की सास एवं अपीलाण्ट संख्या 2 लगायत 4 की दादी श्रीमती रसालकुंवर के कब्जे खातेदारी की स्वअर्जित रही है। इसी प्रकार खसरा संख्या 156 रकबा 0.10 बिस्वा कृषि भूमि में अपीलाण्ट संख्या 1 की सास एवं अपीलाण्ट संख्या 2 लगायत 4 की दादी श्रीमती रसालकुंवर का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा रहा है तथ शेष 1/2 खातेदारी हक हिस्सा कृष्णाकुंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह देवडा निवासी केराल तहसील शिवंगज जिला सिरोही के खातेदारी का है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि तत्कालीन खातेदार रसालकुंवर ने उसके जीवनकाल में अपीलाण्ट संख्या 1 के पति एवं अपीलाण्ट 2 लगायत 4 के पिता देवीसिंह के हक में उपरोक्त कृषि भूमि का अंतिम वसीयतनामा दिनांक 09.06.2005 को निष्पादित किया है एवं उक्त वसीयतनामे का उप पंजियक कार्यालय शिवंगज से पंजिकृत करवाया है। श्रीमती रसालकुंवर का देहान्त दिनांक 18.03.2018 को हुआ। रसालकुंवर के देहान्त के पश्चात् से अपीलाण्ट्स प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार कृषक जरिये रसालकंवर की पंजिकृत वसीयत दिनांक 9.6.2005 की पालना में बने है। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट्स के कब्जे आधिपत्य में बतौर खातेदार कृषक है। रसालकुंवर के स्वर्गीय देवीसिंह के अलावा दो पुत्रीयों क्रमश भवरकुंवर एवं रतनकुंवर है। रसालकुंवर द्वारा देवीसिंह के हक में पंजिकृत वसीयतनामा निष्पादित किये जाने के कारण श्रीमती रसालकुंवर की पुत्रीयां भवरकुंवर एवं रतनकुंवर का प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी प्रकार का खातेदार हक अधिकार नही हुआ है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 भंवरकुंवर ने अपीलाण्ट व अन्य के विरूद्ध दिवानी वाद वरिष्ठ सिविल न्यायालय शिवगंज में प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 09.06.2005 को निष्प्रभावी घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया था, जिसके वाद संख्या 4/2022 है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त दिवानी वाद रसालकुवर द्वारा निष्पादित किये गये पंजिकृत वसीयतनामे की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ने उसके द्वारा वरिष्ठ [illegible] न्यायालय शिवंगज में प्रस्तुत किये गये वाद संख्या 4/2022 अनवान भवरकुंवर [illegible] के वारिसान वगैरह के वाद को स्वेच्छा से विड्रो किया [illegible] भवरकुंवर द्वारा प्रस्तुत किये गये दिवानी वाद संख्या 4/2022 को मननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय शिवंगज ने दिनांक 30.05.2023 को खारिज किया हैं। इस प्रकार श्रीमती रसालकुवर द्वारा मृतक देवीसिंह के हक में निष्पादित किया गया पंजिकृत वसीयनामा दिनांक 9.6.2005 पृष्ट हो गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर बी जे 2023 पेज नंबर 644 प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Pratibha Singh
Date: 2024.04.18 23:01:59 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स भंवरकुंवर द्वारा वसीयतनामे का निरस्त किये गये वाद का अंतिम निर्णय होने के पश्चात् अपीलाण्ट को प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 342 दिनांक 18.05.2018 के आलौच्य नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई तथा साथ में धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी अपास्त किये जाने योग्य है उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलाण्ट्स का धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का ओवदन खारीज किया गया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर एल डब्लू 2006(4) पेज नंबर 2865 प्रस्तुत किया गया।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय शिवंगज में वसीयतनामे दिनांक 09.06.2005 को निरस्त करने का जो वाद प्रस्तुत किया था जिसे रेस्पोडेण्ट्स द्वारा दिनांक 30.05.2023 को स्वेच्छा से विड्रो किये जाने पर वाद खारिज हुआ है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किये गये दिवानी वाद संख्या 4 / 2022 को वरिष्ठ सिविल न्यायालय शिवंगज ने दिनांक 30.05.2023 को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त वाद दिनांक 30.05.2023 को खारीज होने से अपीलाण्टान के पूर्वरसाधिकारी देवीसिंह के हक में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 09.06.2005 पुष्ट हो गई एवं अपीलाण्ट को नामान्तरकरण निरस्त कराने की अपील प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ था उक्त तथ्यो पर गौर नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में बडी भारी कानूनी एवं वाक्यासी भूल की है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत एस एल पी नंबर 13146 / 2021 (एस.सी.) अनवान जीतेन्द्र सिंह बनाम स्टेट प्रस्तुत किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2024 को निरस्त फरमावें तथा अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद होना मानकर नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.05.2018 को निरस्त करने का आदेश पारित करावे तथा अपीलाण्ट्स के पूर्वरसाधिकारी देवीसिंह के हक में श्रीमती रसालकुंवर द्वारा निष्पादित प्रश्नगत कृषि भूमि के पंजिकृत वसीयतमाना दिनांक 9.5.2006 के आधार पर नामान्तकरण दायर किये जाने के निर्देश तहसीलदार शिवंगज को प्रदान करना फरमावें।

5. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 18–04–2024 को आदेश हेतु नियत होने से प्रस्तुत हुई। विद्वान अधिवक्ता श्री हीरालाल परिहार ने रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है, अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाये। [illegible] अधिवक्ता अपीलाण्ट ने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत पन्नालाल बनाम [illegible] 02 1967 तथा सी.पी. सी. नियम 33 प्रस्तुत किया गया त[illegible] न्यायालय के अनुसार यदि किसी पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है तथा उक्त एकपक्षीय कार्यवाही आदेश को निरस्त करवाने हेतु 30 दिन के अंदर सेट एसाइड करवा सकते है लेकिन विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित नही किया गया है एवं ना ही न्यायालय के समक्ष किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.18 23:41:59 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

एकपक्षीय निर्णय को सेट असाइड कराने का प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर विचाराधीन प्रकरण पर चस्पा नही होती हैं।

प्रकरण का बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार, शिवंगज द्वारा ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 155/2 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 157 रकबा 0.08 बीघा भूमि के खातेदार एवं ग्राम केराल के खसरा संख्या 156 रकबा 0.10 बीघा के संयुक्त खातेदार रसालकुंवर पत्नी मोतीसिंह की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि में मृतक रसालकुंवर की हक हिस्से की कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार, शिवगंज के द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरकरण को निरस्त करने हेतु प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही में दिनांक 05.06.2023 को प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब को कण्डोन करने हेतु अपील के साथ 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही ने मियाद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023 में दिनांक 29–01–2024 को निर्णय दिया गया कि अपील 30 दिन में प्रस्तुत नही करके 4 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत करने के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। इस आधार पर अपील प्रकरण संख्या 12/2023 भी खारिज किया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर फैसला नही किया गया है, मात्र अपील प्रस्तुत करने में देरी होने से अपील खारिज की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेजात का अवलोकन भी नही किया गया है तथा न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया। प्रकरण के समस्त तथ्यो का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विवेचन नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अस्पष्ट है तथा तथ्यों पर आधारित नही हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के प्रकरण संख्या 17/2023 एवं अपील संख्या 12/2023 अनवान गणेश कुंवर बनाम भंवरकुंवर निर्णय दिनांक 29–01–2024 को अपास्त किया जाता हैं। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड दस्तावेज की जांच तथा प्रकरण का अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे तथा यह भी जांच करे कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि रसाल कुंवर की स्वअर्जित भूमि थी अथवा पैतृक भूमि थी। अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त वर्णित स्पष्ट विवेचन के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.04.18 23:01:59 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 18 अप्रैल, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली